

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग- दो

मंगलवार, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 (पौष 3, 1935)

छत्तीसगढ़ की चतुर्थ विधान सभा का प्रथम सत्र

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ की चतुर्थ विधान सभा का प्रथम सत्र सोमवार, दिनांक 6 जनवरी, 2014 को प्रारंभ होगा.

प्रथम सत्र में कार्य निष्पादन के लिए दिनों का नियतन जनवरी, 2014 सत्र

1. इस सत्र हेतु की गई व्यवस्था के अनुसार, कार्य निष्पादन के लिए विधान सभा की बैठकें अस्थायी तौर पर निम्नलिखित दिनांकों के लिए नियत की गई है :-
जनवरी - 6, 7, 8, 9 एवं 10 .
2. बैठकों की अस्थायी दिनदर्शिका माननीय सदस्यों को पृथक से भेजी जा रही है.

विधान सभा की बैठकों का समय

जब तक अध्यक्ष महोदय अन्यथा निदेश न दें, बैठकों के दिनों में, विधान सभा की बैठकें, पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 1.30 बजे तक और अपराह्न 3.00 बजे से सायं 5.30 बजे तक होंगी.

निर्वाचन के प्रमाण-पत्र

निर्धारित शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञान करने के संबंध में सदस्यों से निवेदन है कि वे निर्वाचन संचालन नियमों के नियम-66 के अंतर्गत निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिये गये अपने निर्वाचन के प्रमाण-पत्र को अपने साथ लायें और विधान सभा के प्रमुख सचिव या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को शनिवार, दिनांक 4 जनवरी, 2014 को पूर्वाह्न 10:30 बजे से सायं 5:30 बजे तक या उसके पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर दिखाएं. उन्हें उक्त पदाधिकारी को यह भी बताना चाहिए कि वे शपथ लेंगे अथवा प्रतिज्ञान करेंगे और यह भी कि हिन्दी / संस्कृत / छत्तीसगढ़ी / अंग्रेजी भाषा में से किस भाषा में शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के इच्छुक हैं, ताकि तदनुसार प्रबंध किया जा सके.

शपथ अथवा प्रतिज्ञान

संविधान के अनुच्छेद 188 की अपेक्षानुसार सदस्य सोमवार, दिनांक 6 जनवरी, 2014 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से विधान सभा में शपथ लेंगे अथवा प्रतिज्ञान करेंगे.

शपथ अथवा प्रतिज्ञान करने के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी :-

सर्वप्रथम सदन के नेता, प्रतिपक्ष के नेता, मंत्रिमण्डल के सदस्य तथा सभापति तालिका के सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे, तत्पश्चात् निर्वाचन क्षेत्र के क्रमानुसार सदस्य प्रमुख सचिव की टेबल के दाहिने ओर आयेगे जहां कार्यालय टेबल पर अपने निर्वाचन के प्रमाण-पत्र बतलाने पर उन्हें शपथ/प्रतिज्ञान का प्रपत्र दिया जायेगा और प्रमुख सचिव की टेबल के सामने रखी कुर्सी पर अपने क्रम से बैठेंगे तथा अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे. बारी आने पर वे अध्यक्ष के मंच के सामने उनकी ओर मुंह करके खड़े होकर माईक के पास निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ ग्रहण/प्रतिज्ञान करेंगे तदनुसार वे अध्यक्ष से हाथ मिलायेगे या नमन करेंगे और प्रमुख सचिव की टेबल पर रखी सदस्य नामावली पर हस्ताक्षर करने के उपरांत सभा में अपना स्थान ग्रहण करेंगे.

अध्यक्ष का निर्वाचन

अध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध में विस्तृत जानकारी और प्रक्रिया को दर्शाने वाला पत्रक भाग-दो पृथक से निकाला जायेगा.

विधान सभा के समक्ष राज्यपाल का अभिभाषण

माननीय राज्यपाल मंगलवार, दिनांक 7 जनवरी, 2014 को पूर्वाह्न 11:05 बजे विधान सभा में समवेत सदन में अभिभाषण करेंगे. सदस्यों से निवेदन है एवं अपेक्षित है कि जब माननीय राज्यपाल का अभिभाषण हो, उस समय सभा भवन में शान्ति बनाए रखें व सभा भवन से बाहर न जायें.

राज्यपाल के अभिभाषण की प्रतियां

माननीय राज्यपाल के अभिभाषण की प्रतियां, अभिभाषण समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् सूचना कार्यालय में सदस्यों के उपयोग के लिए रखी गईं खानेदार अलमारी से वितरित की जायेगी.

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा

माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बुधवार, दिनांक 8 जनवरी, गुरुवार, दिनांक 9 जनवरी तथा शुक्रवार, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का दिन अस्थायी रूप से नियत किया गया है.

राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन

माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत किये जाने वाले कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन की सूचना मंगलवार, दिनांक 7 जनवरी, 2014 को अपराह्न 4:00 बजे तक निर्धारित प्रपत्र में दी जा सकती है, कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन देने के प्रपत्र की प्रतियां सूचना कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं.

माननीय सदस्यों द्वारा पालनीय नियम

1. माननीय सदस्यों का ध्यान विशेष रूप से निम्नांकित नियम 250 एवं 251 की ओर दिलाया जाता है :-

“250 (1) सभा की बैठक के चलते कोई भी सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में नहीं आएगा. ऐसे सदस्य को सदस्यता, जो गर्भगृह में प्रवेश करता है, सभा की कार्यवाही से स्वयमेव उतनी अवधि के लिए निलंबित मानी जायेगी, जैसा कि अध्यक्ष विनिश्चय करे.

(2) सभा के कार्य में व्यवधान संबंधी कृत्य की पुनरावृत्ति करने वाले सदस्य का प्रकरण अध्यक्ष द्वारा जांच एवं अनुसंधान के लिए आचरण समिति को संदर्भित भी किया जा सकेगा.”

“251. बोलते समय कोई सदस्य -

(1) किसी ऐसे तथ्य -विषय का निदेश नहीं करेगा जिस पर न्यायिक विनिश्चय लंबित हो,

(2) किसी सदस्य के विरुद्ध व्यक्तिगत दोषारोपण नहीं करेगा,

(3) संसद या किसी राज्य विधान मण्डल की कार्यवाही के संचालन के विषय में आपत्तिजनक पदावली का उपयोग नहीं करेगा.

(4) सभा के किसी निर्णय पर उसे रद्द करने के प्रस्ताव को छोड़कर अन्य प्रकार के आक्षेप नहीं करेगा.

(5) उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों के आचरण पर आक्षेप नहीं करेगा जब तक कि चर्चा उचित रूप में रखे गये मूल प्रस्ताव पर आधारित न हो.

व्याख्या :- शब्द “उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों” का तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जिनके आचरण की चर्चा संविधान के अधीन केवल उचित रूप में रखे गये मूल प्रस्ताव पर ही की जा सकती है, या ऐसे अन्य व्यक्तियों से है, जिनके आचरण पर चर्चा अध्यक्ष की राय में उनके द्वारा अनुमोदित किये जाने वाले रूप में रखे गये मूल प्रस्ताव पर ही की जानी चाहिए.

(6) अभिद्रोहात्मक, राजद्रोहात्मक या मानहानिकारक शब्द नहीं कहेगा.”

2. सामान्यतः अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित विशिष्ट व्यक्तियों की उपस्थिति का उल्लेख आसंदा द्वारा किये जाने की परम्परा है और तदुपरांत सदन द्वारा उनका अभिनन्दन किया जाता है।

सभा माननाय सदस्या स अनुराध ह कि कृपया अध्याय दायी म उपस्थित विशिष्ट व्यक्तियों का उपास्यात का उल्लेख उनक द्वारा न किया जाए .

माननीय सदस्यों के लिए उपस्थिति पुस्तक

समस्त माननीय सदस्य सदन में उपस्थित होने वाले दिन सूचना कार्यालय में रखी हुई उपस्थिति पुस्तक में अपने हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से करें, ताकि संविधान के प्रावधानों की पूर्ति हो सके. दैनिक भत्ता भी उनकी उपस्थिति पुस्तक में हस्ताक्षर पर निर्भर करता है.

माननीय सदस्यों के लिए साहित्य

सत्रकाल में माननीय सदस्यों के उपयोग के लिए साहित्य, सूचना कार्यालय में खानेदार अलमारी में रखकर वितरित किया जाता है. प्रत्येक माननीय सदस्य अपने नाम वाले खाने से ही अपना साहित्य निकालने का कष्ट करें.

माननीय सदस्यों की पत्नी/पति को फोटोयुक्त प्रवेश पत्र की सुविधा

माननीय सदस्यों की पत्नी अथवा पति को विधान सभा सचिवालय परिसर में सुगमता पूर्वक एवं सम्मानजनक प्रवेश के उद्देश्य से फोटोयुक्त प्रवेश पत्र जारी किये जाते हैं। जिन माननीय सदस्यों द्वारा अभी तक प्रवेश पत्र नहीं बनवाया गया है वे यदि प्रवेश पत्र बनवाना चाहते हैं तो पासपोर्ट साईज के दो रंगीन फोटोग्राफ के साथ आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं.

माननीय सदस्य का नाम व पता

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपने नाम व पते अथवा दूरभाष क्रमांकों में किये गये परिवर्तन की सूचना भी विधान सभा सचिवालय को तुरंत देने का कष्ट करें, ताकि तदनुसार उनके उक्त पते पर ही पत्र व्यवहार किया जा सके.

विधान सभा की वेब साईट

छत्तीसगढ़ विधान सभा से संबंधित विभिन्न जानकारियां प्राप्त करने के लिये माननीय सदस्यगण विधान सभा की वेब साईट www.cgvidhansabha.gov.in का उपयोग कर सकते हैं. सत्र संबंधी समस्त जानकारियां, प्रश्नोत्तर सूची व पत्रक भाग-एक भी यथासमय वेब साईट पर दी जाती है. माननीय सदस्य जानकारियों हेतु वेब साईट कृपया अवश्य देखें.

सदन की कार्यवाही के अनुवाद की व्यवस्था

सभा की कार्यवाही में माननीय सदस्यों को सदन में हिन्दी के साथ-साथ छत्तीसगढ़ी भाषा में भी अपनी बात रखने की सुविधा प्रदान की गई है. माननीय सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को चैनल-एक पर तथा अनुवादित भाषा में सुनने की व्यवस्था चैनल-दो अथवा चैनल पांच पर उपलब्ध है.

सूचनाएं दिये जाने की रीति

(क) माननीय सदस्यों द्वारा समस्त सूचनाएं छत्तीसगढ़ विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 236 के अनुसार प्रत्येक सूचना प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा को संबोधित करके लिखित रूप से विधान सभा सचिवालय में राजपत्रित अवकाश को छोड़कर कार्यालय में दी जानी चाहिए.

(ख) नियमों के अनुसार दी जाने वाली प्रत्येक सूचना लिखित रूप से कार्यालय में अथवा संबंधित वरिष्ठ अधिकारी को दी जाना चाहिए. उस पर सूचना देने वाले माननीय सदस्य के स्याही के हस्ताक्षर, आसन क्रमांक और सुवाच्य रूप में नाम लिखना चाहिए. राजपत्रित अवकाश को छोड़कर शेष दिन इन्हें लेने का समय 11.00 बजे दिन से 4.00 बजे दिन के बीच नियत किया गया है, परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि माननीय सदस्य, प्रमुख सचिव को संबंधित सूचनाएं डाक द्वारा नहीं भेज सकते.

(ग) विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 29 की पूर्ति नहीं होने के कारण प्रश्न नहीं लिये जायेंगे.

सदन की कार्यवाही से संबंधित पत्र

सभा की दैनिक कार्यवाही से संबंधित पत्रों की प्रतियां माननीय सदस्यों को उनके निवास स्थानों पर भी भेजी जाती है। उन पत्रों को संभाल कर रखने, उन्हें यथासमय उपयोगार्थ साथ लाने की अपेक्षा की जाती है।

माननीय सदस्यों द्वारा सभा में दिये गये भाषण की पुष्टि

माननीय सदस्यों द्वारा सभा में दिये गये उनके भाषण की एक प्रति उनकी पुष्टि के लिये सूचना कार्यालय में स्थित खानेदार अलमारी के माध्यम से वितरित की जाएगी। माननीय सदस्यों को भाषण केवल पुष्टि के लिये एवं एम प्रयोजन के लिये भेजे जाते हैं कि यदि उनमें कोई अशुद्धि हो या व्याकरण संबंधी कोई त्रुटि हो तो उसे सुधार दें। माननीय सदस्यों को व्याकरण की दृष्टि में की गई शुद्धि या कहीं-कहीं कोई शब्द ठीक करने या कहीं-कहीं किसी खण्ड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित करने की अनुमति है, लेकिन किसी ऐसी सारगत शुद्धि की अनुमति नहीं है, जिससे माननीय सदस्य ने सभा में जो कुछ कहा है, उसमें इतना फेरबदल हो जाए कि उसका सारतत्व ही परिवर्तित हो जाए। माननीय सदस्यों से यह भी अपेक्षा है कि भाषण में सुधार कर तीन दिवस के अंदर विधान सभा सचिवालय को वापस कर दें।

विभाजन घंटियां

पीठासीन अधिकारी द्वारा मत विभाजन का निर्देश दिये जाने पर सभा कक्षों (लॉबियों) को खाली कराया जाता है तथा मत विभाजन की घंटियां बजाई जाती हैं। ये घंटियां बजाई जाने पर सभा कक्षों (लॉबियों), सूचना कार्यालय, समिति कक्षों, स्वल्पाहार गृहों तथा मंत्रियों इत्यादि के कक्षों तक सुनाई पड़ती हैं। जब ये घंटियां लगातार बजती हैं तो वह इस बात का द्योतक है कि विधान सभा में मत विभाजन होने वाला है, ये घंटियां दो मिनट तक बजती हैं, जब ये घंटियां बजना बंद हो जाती है तब तत्काल आंतरिक सभा कक्ष (लॉबी) के सभी दरवाजे बन्द कर दिये जाते हैं, ताकि मत विभाजन होने तक सभा में इन दरवाजों से न कोई भीतर आ सके और न ही कोई उनसे बाहर जा सके। सभा कक्ष (लॉबी) खाली हो जाने के पश्चात् पीठासीन अधिकारी दूसरी बार प्रश्न प्रस्तुत करते हैं और घोषणा करते हैं कि उनकी राय में "हां" अथवा "ना" पक्ष का बहुमत है। यदि पीठासीन अधिकारी की उस राय पर किसी माननीय सदस्य के द्वारा पुनः मत विभाजन की मांग की जाती है तो निर्णय मत विभाजन द्वारा किया जाता है। पीठासीन अधिकारी निर्देश देते हैं कि विभाजित हो जाइए और मत देने के इच्छुक सदस्यगणों से आसंदी के दाईं ओर अथवा बाईं ओर वाले दरवाजे से अपने सभा कक्ष (लॉबी) में जाने का अनुरोध करते हैं। "हां" तथा "ना" वाले सभा कक्ष (लॉबी) आसंदी के क्रमशः दाहिने व बाईं ओर हैं। माननीय सदस्य वहां रखे मतपत्रों पर अपने हस्ताक्षर करेंगे और फिर सभा वेश्म में लौट आयेगे।

सभा वेश्म में मोबाइल दूरभाष के उपयोग पर प्रतिबंध

विधान सभा की कार्यवाही के दौरान सभा वेश्म (सदन) में मोबाइल दूरभाष का उपयोग करने से सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न होता है। अतः माननीय मंत्रीगण एवं माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे सभा वेश्म (सदन) में अपने साथ मोबाइल दूरभाष लेकर न आये। माननीय सदस्य अपना मोबाइल दूरभाष सूचना कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

विधान सभा भवन में सुरक्षा व्यवस्था

विधान सभा एवं उसकी समितियों के सूचारु रूप में कार्य संचालन हेतु विधान सभा में सुरक्षा की व्यवस्था रहती है, तथा बाहरी व्यक्तियों को विधान सभा में प्रवेश देने हेतु प्रवेश-पत्र जारी किये जाते हैं। माननीय सदस्यों से यह अनुरोध है कि अपने साथ आने वाले आंगंतुकों को बिना प्रवेश-पत्र के परिसर अथवा अन्य कक्षों में प्रवेश देने हेतु सुरक्षा कर्मियों को बाध्य न करें। इसमें सुरक्षा व्यवस्था में व्यवधान उपस्थित होता है। सत्रकाल में अपने साथ आने वाले दर्शकों को प्रवेश-पत्र बनवाकर ही उन्हें विधान सभा परिसर, कक्षों एवं भवन में प्रवेश दिलाएं।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव।

